कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 34. /प्र.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक-10/01/2024

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 18314/2020 (श्यामदास गढ़पाल एवं 14 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) तथा रिट पिटीशन कमांक 1698/2021 (गोकुल प्रसाद रजक एवं 13 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बालाघाट के अधीनस्थ कार्यरत 15 ट्रायसेम श्रमिकों कमशः (1) श्री श्यामदास गढ़पाल, (2) श्री मुलाजी कटारे (3) श्री रामदयाल तुरकर (4) श्री सेंगलाल महुले (5) श्री मनोहर विश्वकर्मा (6) श्री अभिमन्यु शेंडे (7) श्री चन्द्रशेखर मसकरे (8) श्री कृष्ण कुमार राउत (9) श्री दुलीराम पालीवाल (10) श्री तुलाराम बिसेन (11) श्री पिरथीलाल ठाकरे (12) श्री राजेन्द्र तिरपुडे (13) श्री ज्ञानेश्वर रोकडे (14) श्री नरेन्द्र खुदसाम एवं (15) श्री अशोक साकरे तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सागर के अधिनस्थ कार्यरत 14 ट्रायसेम श्रमिकों कमशः (1) श्री गोकुल प्रसाद रजक (2) श्री रूपराम यादव (3) श्री भगवानदास पटेल (4) श्री छोटेलाल रजक (5) श्री शिवराम अहिरवार (6) श्री छोटेलाल अहिरवार (7) श्री बलराम यादव (8) श्री काशीराम अहिरवार (9) श्री मुन्ना आदिवासी (10) श्री मदन पटेल (11) श्री हरिराम अहिरवार (12) श्री सुन्दरलाल चढार (13) श्री हल्लू चढार एवं (14) श्री गोंविद बासुदेव, के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री श्यामदास गढ़पाल एवं 14 अन्य ट्रायसेम श्रमिकों तथा श्री गोकुल प्रसाद रजक एवं 13 अन्य ट्रायसेम श्रमिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष कमशः रिट पिटीशन क.18314/2020 एवं रिट पिटीशन क.1698/2021 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :-

(अ) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों के लिये मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी की गयी पॉलिसी दिनांक 07.10.2016 का अनुमोदन, उन्हें हैंडपंप मैकेनिक के पद पर मानते हुए करे ।

(अ) प्रतिवादियों को यह भी निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिनांक 07.10.2016 से हैंडपंप मैकेनिक के पद का वेतनमान एवं सेवा लाभ प्रदान करे । साथ ही उनका दिनांक 07.10.2016 से सभी लाभों सहित वेतन निर्धारण करते हुए एरियर राशि ब्याज सहित भुगतान करें ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त दोनो रिट याचिकाओ का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

9. Accordingly, both these petitions are disposed of with directions to the respondents to consider the cases of the petitioners as regards conferment of the benefit of circular dated 7.10.2016 in the light of the orders passed in the cases of similarly situated employees i.e. W.P. No. 2206 of 2015 (Gouri Shankar Vs. State of M.P. & others) and W.P. No. 2205 of 2015 (Balram Vs. State of M.P. & others) within a period of 90 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order and in case the petitioners are found entitled for the similar benefit, same be extended to them

10/1

within a further period of 60 days without compelling them to revisit this Court.
10. It is made clear that this Court has not expressed any view on the merit of the case and the Authority concerned, shall take decision on the grievance of the petitioners in accordance with law taking into consideration the aspect of parity.

(3) रिट याचिका कमांक 18314/2020 में शामिल सभी 15 ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 22.12.2023 प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने पॉलिसी दिनांक 07.10.2016 के अनुसार स्थाई कर्मी योजना का लाभ चाहा है।

(4) ट्रायसेम योजना एवं इसके अंतर्गत नियोजित किये गए पंप सुधारकों के सम्बन्ध में विवरण

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा ट्रायसेम योजना के अंतर्गत हैंडपंपों के सुधार हेतु प्रशिक्षण और ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार के अवसर देने हेतु परिपत्र दिनांक 30.07.1983 के माध्यम से निर्देश जारी किये गये थे।

निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण स्तर पर नवयुवकों को हैंडपंपों के माइनर कार्यो जैसे चैन की आयलिंग ग्रीसींग करने, तोड–फोड से रक्षा करने तथा अति साधारण रख–रखाव कार्य करने हेतु अधिकतम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया था । ट्रायसेम मैकेनिको को विभाग में हैंडपंप सुधार/रक्षा से संबंधित मायनर कार्यो हेतु अंशकालिक तौर पर प्रतिदिन अधिकतम 1 से 2 घंटे के कार्य हेतु, हैंडपंप रक्षक के रूप में मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया था। इस व्यवस्था से शासन की मंशा संधारण कार्य में विभाग द्वारा किये जाने वाले व्यय से बचत के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने की थीं। **पंप सुधारक को यह भी छूट दी गई थी कि वह विभाग द्वारा सौंपे गये कार्य के साथ–साथ अपने क्षेत्र के निजी नलकूपों आदि का कार्य करना चाहे तो उन सब के लिए उसे स्वतंत्रता रहेगी, बशर्ते कि हैंडपंपों के सुधार के लिए वर्णित कर्तव्यों की उपेक्षा न हो। उपरोक्तानुसार उन्हें अपने इस काम के साथ–साथ अन्य कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी । यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना में उनके कार्य को पूर्णकालिक किये जाने अथवा उनके नियमितीकरण इत्यादि के संबंध में कोई प्रावधान प्रारंभ से ही नहीं था।**

शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इन कार्यो हेतु श्रमिकों को प्रारंभिक तौर पर, प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 10/– के हिसाब से भुगतान का प्रावधान किया गया था। बाद में पंचायत राज व्यवस्था के तहत ''लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित उत्तरदायित्वों और प्रशासकीय प्रबंधन का अंतरण'' के तहत, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 8–16/96/2/चौतिस भोपाल, दिनांक 06.05.1998 में निहित प्रावधानों के तहत विभाग में बढ़ते हैण्डपंपों की संख्या को देखते हुऐ हैण्डपंपों की संख्या के आधार पर नियमित हैण्डपंप मैकेनिकों की नियुक्ति में वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैण्डपंपों के संधारण एवं रख रखाव हेतु शासकीय अमले में फैलाव के बजाय अन्य विकल्प के रूप में शासन द्वारा ग्रामीण नवयुवको को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने संबंधी संचालित ट्रायसेम योजना के अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकमों का लाभ उठाते हुए, तत्समय प्रत्येक ट्रायसेम श्रमिक को 25 से 30 हैण्डपंपों के संधारण व उनके रख- रखाव की जिम्मेदारी सौपे जाने का प्रावधान किया गया था। परिपत्र के अनुसार ट्रायसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षितों को संधारण कार्य के प्रति आकृष्ट करने हेतु प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 20/–का पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

10/1